न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 04 / 2019

1 जलेसिंह पुत्र चन्दगीराम जाति जाट।
2 कैलाशी देवी पत्नी मदनलाल जाति जोगी निवासीगण गौरीर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
3 ज्योति पुत्री मदनलाल पत्नी हरिराम जाति जोगी निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
4 पिंकी पुत्री मदनलाल पत्नी नरेश।
5 मोनू पुत्री मदनलाल पत्नी पंकज समस्त जाति जोगी निवासीगण खोल की ढ़ाणी तन जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
6 सुरेश पुत्र श्रीराम।
7 समुद्र पुत्र श्रीराम समस्त जाति जोगी निवासीगण गौरीर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 विजय सिंह पुत्र गणपतराम।
2 लीलाराम पुत्र धन्नाराम समस्त जाति जाट निवासीगण गौरीर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
3 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
4 भरत सिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट।
5 रतन सिंह पुत्र फुलाराम जाति जाट।
6 विधाधर पुत्र मातादीन जाति जोगी।
7 गोरधन पुत्र श्योचन्द जाति जाट।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

8 शीशराम पुत्र नागरमल जाति जाट निवासीगण गौरीर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व अन्तिम डिक्री बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनू दावा उनवानी विजय सिंह बनाम लीलाराम।

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री उम्मेदराज, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 6.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 61/2016 में पारित निर्णय दिनांक 19.12.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्टस व अन्य रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध अदालत मातहत के यहां विभाजन का दावा किया जो अदालत मातहत द्वारा दिनांक 19.12.2018 को बहक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 निर्णित कर अन्तिम रूप से डिक्री किया इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने राजस्थान टिनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के आदेशात्मक प्रावधानों को नजर अंदाज कर निर्णय व अन्तिम डिक्री जैर बहस पारित कर तथ्य व विधि की भूल की है। विचारण न्यायालय ने पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव पर निर्णय पारित कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दावा को अन्तिम रूप से डिक्री करने में गलती की है। विभाजन प्रस्ताव एक पक्षीय है तथा तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किये गये है। कानून से विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार की उपस्थिति में पक्षकारान को सूचित कर मुताबिक भौतिक कब्जा काश्त तमाम सहखातेदारान के बीच तैयार किये जाने जरूरी है। अदालत मातहत ने कानूनी प्रकिया की पालना नहीं की है। अदालत मातहत ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा Circulated Judgement उनवानी कैलाश बनाम रमेश RBJ 2017 पेज 299 में पारित सिद्धान्तों की पालना नही कर अवमानना की है। कानून से पटवारी हल्का द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव साक्ष्य में ग्राहय नहीं है। तहसीलदार खेतड़ी कभी भी मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु नहीं गया। अदालत मातहत के यहां अपीलान्ट संख्या 1 जले सिंह ने लिखित में विभाजन प्रस्ताव पर ऐतराज प्रस्तुत किया था जिसे बिना निस्तारित किये विचारण न्यायालय ने आदेशिका दिनांक 19.12.2018 पर गलत रूप से अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाना दर्ज कर निर्णय व अन्तिम डिक्री जैर बहस पारित की है जो काबिले खारिज है। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर मौजुद विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक दावा को अन्तिम रूप से डिक्री करने हेतु अपीलान्ट व उनके अधिवक्ता ने कभी भी सहमति नहीं दी थी। कानून से विचारण न्यायालय को तहसीलदार से जमीन के तमाम सहखातेदारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर तमाम सहखातेदारान के मध्य विधिवत विभाजन करना चाहिये था जो नहीं कर कानूनी गलती की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। दौराने अपील रेस्पोडेन्ट ने आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत कर विवादित भूमि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

में सम्परिवर्तन आदेश, नक्शा ट्रेस, आवासीय भूमि का नक्शा एवं रजिस्टर्ड पट्टे की प्रति पत्रावली पर लेने का निवेदन किया। इस स्तर पर यह आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रमाणित दस्तावेजात की प्रति प्रस्तुत की गई है जो न्याय निर्णयन में सहायक है। अतः आवेदन स्वीकार किया जावें। विचारण न्यायालय में प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार खेतड़ी द्वारा विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना में तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के हस्ताक्षर है। विचारण न्यायालय ने विभाजन के नियमों की पालना कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय में विभाजन की अन्तिम डिक्री के उपरांत भूमि का आवसीय प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन किया जाकर पट्टा जारी किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे रेव 2023(1) पेज 393 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 41 नियम 27 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से प्रथम दृष्टया जाहिर होता है कि विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये है क्योंकि विभाजन प्रस्ताव में पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार खेतड़ी को सम्बोधन किया गया है ऐसी स्थिति में विभाजन प्रस्ताव पर अंकित तहसीलदार के हस्ताक्षरों को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करने पर किया जाना प्रकट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

होता है ऐसी स्थिति में विभाजन प्रस्ताव माननीय राजस्व मण्डल के विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना में तैयार किया जाना नहीं माना जा सकता है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय अथवा निर्णय से पूर्व इस आपत्ति का निस्तारण नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधिक प्रकिया की पालना किये बिना पारित किया हुआ होने के कारण विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत सम्परिवर्तन आदेश विचाराधीन निर्णय के पश्चात का होने से रेस्पोडेन्ट किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय को अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार स्वयं उभयपक्ष की उपस्थिति में नियम 18 से 21 की पालना में पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.06.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 6.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर